<u>न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड् जिला -बड्वानी (म.प्र.)</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 128/2014 संस्थित दिनांक—28.02.2014

म.प्र. राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड्वानी अभियोगी

वि रू द

मोहम्मद अमजद पिता शरीफ खान, जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष, निवासी छत्रीपाल, नई आबादी, धार जिला धार म.प्र.

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा –	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा —	श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

__:: नि र्ण य ::— (आज दिनांक 28.11.2016 को घोषित)

- 01. थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 23/14 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 04.02.2014 को शाम लगभग 7:30 बजे ए.बी. रोड सावंगी फाटा में लोकमार्ग पर टवेरा क्रमांक एम.पी 11 बी.ई 0615 उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण तरिके से चलाकर उक्त वाहन की टक्कर कमल को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित कर जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी मे नहीं आता है। भादस की धारा 304 ए का अभियोग।
- **02.** प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा कमल की पोस्टमार्डम रिपोर्ट प्रपी—9 तथा उक्त टवेरा वाहन की मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रपी—8 सही होना स्वीकार की है। इस प्रकार कमल की मृत्यु होना स्वीकृत तथ्य है।
- 03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2014 को सुबह 4 बजे कमल वास्कले ने थाना ठीकरी यह सूचना दर्ज कराई की कल शाम लगभग 7:30 बजे सांवगी फाटा ए.बी. रोड पर अज्ञात वाहन का चालक अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चालाकर लाया था। सेंधवा की ओर से उसकी मोटरसाईकल पर आ रहें उसके भतिजे कमल पिता विक्रमसिंह वास्कले के मोटरसाईकल क्रमांक एमपी 46 एम.एफ 9937 को पिछे से टक्कर मार दी, जिससे कमल के सिर में ओट पर और दाहिने ऑख पर चोंट आई कमल के ईलाज के लिये उसे ठीकरी अस्पताल लाया वहां से उसे इंदौर अस्पताल भेजा गया जहां पर उसकी मृत्यु होने पर वापस ले आये। भैयालाल की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी ने मर्ग क्रमांक 9/14 दर्ज किया तथा जांच की गई। जांच के उपरांत अज्ञात वाहन के चालक के विरुद्ध उक्त अपराध क्रमांक 23/14 दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक के शव का परीक्षण कराया गया। तथा साक्षीगण के कथन के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार का उसे उक्त टवेरा वाहन उसके दस्तावेंज सिहत जप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेंश किया गया।

- **04.** उक्त अनुसार आरोपी पर भादस की धारा 304 ए का आभियोग लगाया गया। आरोपी ने अपराध के इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी का कथन हैं कि वह निर्दोष हैं, उसे झूंठा फंसाया गया, किन्तु बचाव में किसी साक्षी को परीक्षण नहीं कराना प्रगट किया।
- **05**. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होता है-
 - 01. क्या आरोपी ने दिनांक 04.02.2014 को शाम लगभग 7:30 बजे ए. बी. रोड सांवगी फाटा लोकमार्ग पर टवेरा क्रमांक एमपी. 46 बी.ई 0615 का उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण चलाकर उसकी टक्कर से कमल की मोटरसाईकल को मारकर कमल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेंणी में नहीं आता ?
- 06. अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन ने अपने सर्मथन में भेयालाल (असा.1), ब्रदीलाल (असा.2), मुकेश (असा. 3), सुमनबाई उर्फ मंजुबाई (असा.4), सीताराम (असा.5), देवचंद (असा.6), आशीष पंडित (असा.7), तथा मेहताबसिंह (असा.8) का परीक्षण कराया है।

-:सकारण निष्कर्ष:-

- 07. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में भैयालाल (असा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता । मृतक कमल उसका भतिजा था। लगभग 1 वर्ष पूर्व वह अपने घर पर था। उसे मोबाईल पर सूचना मिला थी कि कमल का सांगवी फाटे पर एक्सीडेंट हो गया हैं। कमल को ईलाज के लिये इंदौर ले जा रहे थे तभी कमल की मृत्यु हो गई। उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी जो प्रपी—1 हैं जिसकें ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया हैं कि वह घटना स्थल पर गया हैं, अथवा उसने प्रपी—1 की रिपोर्ट में उसने यह बताया हैं कि अज्ञात वाहन का चालक तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर लाया था, कमल की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी। साक्षी ने पुलिस को प्रपी—3 के कथन में भी उक्त बाते बताने से इंकार किया है। बचाव पक्ष के ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी थी तथा पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, तो उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिये। उसने पुलिस को प्रपी—1 की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, और प्रपी—3 का कथन भी नहीं दिया था।
- 08. मुकेश (असा.3) सुमनबाई उर्फ मंजुबाई (असा.4) देवचंद (असा.6) ने दुध् िटना में कमल की मृत्यु होंने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षीयों से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षीयों ने इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया हैं कि उन्होंने दुर्घटना देखी थी।
- 09. ब्रदीलाल (असा.2) तथा मुकेश (असा.3) को चश्मदीद साक्षी होना बताया गया हैं किन्तु दोनो ही साक्षीयों ने दुर्घटना उनके सामने होने से स्पष्ट इंकार किया हैं। साक्षी बद्रीलाल ने प्रपी— 4, 5 अपने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त दोनो ही साक्षीयों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर दोनों साक्षीयों ने स्पष्ट इंकार किया हैं कि दिनांक 04.09.2016 को उनके सामने चौधरी ढ़ाबे के पास सफेद रंग के टवेरा वाहन से

मोटरसाईकल के चालक को टक्कर मार दी साक्षीयों ने इस सूझाव से भी इंकार किया की टक्कर मारने वाले वाहन क्रमांक एमपी. 46 बी.ई 0615 देखा था। साक्षीयों ने इस सुझाव से भी इंकार किया की उक्त नंबर लिखी पर्ची पुलिस को जप्त कराई थीं। यहां तक की साक्षीयों ने पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में बद्रीलाल (असा.2) ने स्वीकार किया कि वह पढ लिखा नहीं हैं केवल हस्ताक्षर करना जानता हैं। उसने पुलिस को किसी भी पर्ची पर वाहन का नंबर लिख कर नहीं दिया हैं। प्रपी-4 पर बी से बी की लिखावट भी उसकी नहीं हैं।

- आशीष पंडित (असा.7) का कथन है कि दिनांक 05.02.2014 को थाना ठीकरी में 10. फरियादी भैयालाल वास्कले ने अज्ञात वाहन के द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर कमल की मोटरसाईकल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रपी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने कमल की मृत्यू हो जाने पर थाना ठीकरी के मर्ग क्रमांक 09 / 14 जो प्रपी–8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षीयों ने स्वीकार किया हैं की अज्ञात चालक की रिपोर्ट लिखाई थी।
- मेहताबसिंह (असा.8) ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 23 / 14 की विवेचना की दौरान प्रपी–2 का नक्शमौका बनाया, प्रपी–9 का सफीना फॉर्म जारी करने, प्रपी–10 का नक्शा पंचनामा तैयार करने, साक्षी ब्रदीलाल के पेश करने पर वाहन क्रमांक एमपी 11 बी.ई. 0615 लिखी हुई पर्ची प्रपी–4 जप्त करने, तथा आरोपी को गिरफ़तार करने के संबंध में, साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी से टवेरा क्रमांक एमपी 11 बी.ई. 0615 जप्त किया था। फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया हैं कि उसे फरियादी और साक्षीयों ने कोई कथन नही दिये, अथवा उसे बद्रीलाल ने वाहन का नंबर लिखी पर्ची प्रपी-4 की जप्त नही कराई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया हैं कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।
- ऐसी स्थिति में जब की प्रकरण की रिपोर्ट कर्ता ने तथा परीक्षित कराया हैं की किसी भी साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय उक्त टवेरा वाहन कमांक एमपी 11 बी.ई. 0615 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरिके से चलाने और उसकी टक्कर कमल की मोटरसाईकल को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई थी कथन नहीं किये यहां तक की बद्रीलाल जिसके द्वारा टवेरा वाहन का नंबर पुलिस को प्रपी-4 की पर्ची पर लिख कर देना बताया है, ने भी घटना देखने अथवा उक्त पर्ची पुलिस को जप्त कराने से स्पष्ट इंकार किया तो यह प्रमाणित नहीं होता की अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर कमल की मृत्यू कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।
- इस प्रकारण अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदहे से परे प्रमाणित करने मे पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी मोहम्मद अमजद पिता शरीफ खान उम्र 36 वर्ष निवासी छत्रीपाल निवासी धार भा.द.सं. की धारा 304 (ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता हैं। आरोपी के जमानत व

मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

- जप्त टेवरा वाहन क्रमांक एमपी 11 बी.ई. 0615 उसके स्वमी की सुपुर्दगी में है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जाए। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र 15. बनाया जाए ।
- प्रकरण में जप्तश्रदा संपत्ति वाहन टेवरा वाहन क्रमांक एमपी 11 बी.ई. 0615 उसके स्वामी को पूर्व से सुपूर्देगी पर दिया गया है, अतः सुपूर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

्... त्या परण पाण्ड्य) (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.